

कार्यालय स्थायी लोक अदालत, अमरोहा

-: कार्यालय विज्ञप्ति :-

पत्रांक सं० ५६/2024, स्थायी लोक अदालत, अमरोहा / दिनांक 24.04.2024

जनपद अमरोहा में स्थित स्थायी लोक अदालत, डी.एल.एस.ए. बिल्डिंग, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, जिला अमरोहा-244221 गठन किया जा चुका है और कियाशील हो चुकी है। उक्त स्थायी लोक अदालत के सुचारू रूप से संचालन हेतु जारी शासनादेश सं० 827/सात-न्याय-7-2014-47/2002 दिनांकित 11.11.2002 व शासनादेश सं० 02/2018/661/सात-न्याय-7-2018-47/2002 दिनांकित 30.01.2018 द्वारा आशुलिपिक, पेशकार एवं चपरासी की नियुक्ति हेतु स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मियों को अधिकतम 2 वर्ष के लिए एक निर्धारित मानदेय पेशकार हेतु 9000/-, आशुलिपिक हेतु 9000/- तथा चपरासी हेतु 7000/- प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर कार्य कराया जायेगा। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। सेवा के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवा अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर समाप्त कर दिया जायेगा। प्रत्येक का एक एक पद एवं नियत मानदेय पर किया जाना है।

क्र० सं०	पद का नाम	नियत मासिक मानदेय
01	पेशकार	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 9000/- नियत मासिक मानदेय पर
02	आशुलिपिक	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 9000/- नियत मासिक मानदेय पर
03	चपरासी	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से रू० 7000/- नियत मासिक मानदेय पर

उपरोक्त पदों हेतु उपरोक्त योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थीगण से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 14.05.2024 समय 5:00 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप स्थायी लोक अदालत, जिला अमरोहा के कार्यालय में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट (<http://allahabadhighcourt.in>) पर तथा जनपद न्यायालय अमरोहा की वेबसाइट <http://amroha.dcourts.gov.in> पर विज्ञापन सहित उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने आवेदन को कार्यालय स्थायी लोक अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे

उक्त से सम्बंधित जानकारी स्थायी लोक अदालत के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट- आवेदन प्रारूप सुलग्न है।

अध्यक्ष

ओमबीर 24.04.24

स्थायी लोक अदालत
जिला अमरोहा
जनपद-अमरोहा

स्थायी लोक अदालत, अमरोहा

पत्र सं०:-47/2024 स्थायी लोक अदालत अमरोहा/ दिनांक 24/04/2024

प्रेषक,

ओमबीर

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद अमरोहा

प्रापक,

जिला सूचना अधिकारी

सूचना विभाग, जनपद अमरोहा

विषय- स्थायी लोक अदालत के संचालन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारीगण आशुलिपिक, पेशकार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु नियुक्त किये जाने के संदर्भ में प्रेस नोट न्यूज पेपर में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद अमरोहा में गठित स्थायी लोक अदालत के कार्यालय/ऑफिस संबन्धी कार्य करने हेतु जिला दीवानी न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पूर्व पत्र संख्या 2740/एस.एल.एस.ए. - 5/2002 दिनांक नवम्बर 26, 2018 तथा शासनादेश संख्या 827/सात -न्याय -7 -2014 -47/2012 दिनांक 11.11.2002 व शासनादेश संख्या 02/2018 /661 /सात -न्याय -7 -2018 -47/2002 दिनांक 30.01.2018 द्वारा नियत मासिक मानदेय पर एक पद पेशकार व एक पद आशुलिपिक (सेवा निवृत्त) नियत मानदेय 9000/-रु० तथा एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(सेवा निवृत्त) नियत मानदेय 7000/- रु० पर नियुक्ति समयावधि दो वर्ष के अनुबन्ध पर साक्षात्कार द्वारा नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन आहूत किये जा रहे हैं। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। सेवा के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवा अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर समाप्त कर दिया जायेगा।

क्र०स०	पद का नाम	पद	आयु
01	आशुलिपिक	1	65 वर्ष से कम हो
02	पेशकार	1	65 वर्ष से कम हा
03	अर्दली	1	65 वर्ष से कम हा

आवश्यक निर्देश:-

- 1- आवेदक अभ्यर्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए एवं उसके विरुद्ध कोई भी अनैतिक आचरण का आरोप भी नहीं होना चाहिए।
- 2- आवेदन निःशुल्क है।
- 3- आवेदन पत्र विज्ञापित की तिथि से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय अमरोहा के कार्यालय में दिनांक 14/05/2024 को साय: 05:00 बजे तक जमा किये जायेंगे।
- 4- नियुक्ति के समय आवेदक/अभ्यर्थी को अपने स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, राजकीय चिकित्सालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 5- ~~अभ्यर्थी~~ कर्मचारी जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त कार्मिक होना चाहिए।
- 6- अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अनुमोदन के अधीन रहेगी।
- 7- अभ्यर्थी को अपने प्रार्थनापत्र के साथ दो नवीनतम फोटो प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 8- आवेदन पत्र का विवरण व प्रारूप स्थायी लोक अदालत, जिला अमरोहा के कार्यालय में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट (<http://allahabadhighcourt.in>) पर तथा जनपद न्यायालय अमरोहा की वेबसाइट (<https://amroha.dcourts.gov.in>) पर विज्ञापन सहित उपलब्ध है।

(नोट - आवेदन के साथ डाक टिकट लगे दो लिफाफे होने चाहिये, तथा आवेदन के साथ लगे प्रपत्र स्व: हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदन प्रकाशन तिथि से 20 दिवस के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा को प्राप्त हो जाने चाहिए, उसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।)

ओमबीर

अध्यक्ष,

स्थायी लोक अदालत,

जनपद अमरोहा

जनपद-अमरोहा

—: आवेदन पत्र का प्रारूप :-

1-पद का नाम (जिस के लिये आवेदन किया जा रहा है).....

2-अभ्यर्थी का नाम.....

3-पिता/पति का नाम.....

4-निवास का स्थायी पता-.....

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
नवीनतम फोटो

.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करे)

5- मोबाईल संख्या

6- जन्मतिथि -.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करे)

7- शैक्षिक योग्यता

8- अनुभव यदि कोई हो तो स्पष्ट करे.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करे)

9- आचरण -.....(प्रमाण पत्र संलग्नक करे)

10-पद का नाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए है).....

11-सेवा निवृत्त का दिनांक -.....माह.....व वर्ष.....

12-विभाग का नाम व पूरा पता (जहाँ से सेवा निवृत्त हुए है).....

.....(सेवा निवृत्त का विभागीय प्रमाण पत्र संलग्नक करे)

13-पूर्ण सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार का दण्ड प्राप्त हुआ है अथवा नहीं
.....यदि दण्डित किया गया है तो लिखित विवरण प्रस्तुत
करे.....

14-ई-मेल आई.डी.....

(नोट - आवेदन के साथ डाक टिकट लगे दो लिफाफे होने चाहिये, तथा आवेदन के साथ लगे प्रपत्र स्व: हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदन प्रकाशन तिथि से 20 दिवस के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा को प्राप्त हो जाने चाहिए, उसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।)

घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दी गयी सूचनाये मेरी जानकारी मे सत्य एवं सही है। मैं उपरोक्त दी जाने वाली सभी सूचनाओ मे कोई सुसंगत तथ्य छिपा नहीं रहा/रही हूँ। मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत/लम्बित नहीं है। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी तथ्य चयन/नियुक्ति के उपरान्त गलत पाया जाये तो मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाये।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के पूर्ण पठनीय हस्ताक्षर
तथा पूर्ण पते सहित